न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 45/16

1. विक्रम पुत्र रामसहाय
2. रकमसिंह
3. केशराम
4. राजकुमार
5. विजय — पिसरान प्रभू
6. खेलन्ती
7. गुड्डी — पुत्रीयान प्रभू
8. मगनबाई पत्नी प्रभू जाति मीना निवासीयान गुनेसरा तहसील व जिला करौली

अपी0

बनाम

1. रामप्यारी पत्नी हरी
2. रामपति पत्नी गोपाल
3. हरि
4. गोपाल पुत्रान रामलाल
5. हल्की पत्नी रामलाल जाति मीना निवासीयान गुनेसरा तहसील व जिला करौली
6. केशर पुत्री सुखराम पत्नी गंजी जाति मीना निवासी गुनेसरा हाल निवासी बडोली तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली
8. प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा करौली
9. प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा करौली

(अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली मु0न0 86/2015 निर्णय व डिग्री दिनांक 27.04.2016)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री इकरामुद्दीन खान
2. रेस्पो0 की ओर से श्री विष्णुचन्द बंसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 28.01.2021**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली मुकदमा संख्या 86/2015 निर्णय व डिग्री दिनांक 27.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 द्वारा एक वाद पत्र बाबत

Scanned with CamScanner

दावा घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरस्ती तहत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि आराजीयात खसरा नम्बर 50, 55, 58, 74, 87, 90, 114, 146, 187 कुल किता 9 कुल रकबा 09 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम गुनेसरा तहसील करौली में स्थित है जो कि वादी/रेस्पो0 सख्या 3, 4, 5 के बुजुर्ग पितामह व ससुर फैली पुत्र देवचंद व प्रतिवादी नम्बर 3 के पिता सुखराम पुत्र फैली जाति मीना के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है। सुखराम की पुत्री केसर प्रतिवादी नम्बर 3 से वादी/रेस्पो0 संख्या 01 व 02 ने सुखराम की आराजी को दिनांक 28.05.2007 को रजिस्ट्रर्ड बयनामा से विलऐवज एक लाख दस हजार रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, जिस पर वादीगण/रेस्पो0 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। विवादित आराजी की खातेदारी शिकमी काश्तकार के रूप में सम्वत 2019 से 2022 में वादी 3 व 4 के पितामह व वादी संख्या 5 के ससुर व प्रतिवादी नम्बर 3 के पिता के हक में रहे है। आराजीयात के खसरा नम्बर 66, 73, 79, 145, 142, 278, 307 कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीघा ग्राम गुनेसरा के रामसहाय पुत्र श्योनारायण मीना के हक में खातेदारी इन्द्राज बतौर शिकमी रहे है। प्रतिवादी/अपीलांट सं0 01 की मॉ कम्पूरी बेवा रामसहाय का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी/अपीलांट नम्बर 01 मृतक का एक मात्र वैध वारिस है। राजस्व कर्मियों ने फैली व रामलाल, सुखराम व रामसहाय के मरने के बाद विवादित आराजीयात का एक ही खाता संयुक्त रूप से कायम कर दिया है जबकि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 50, 55, 58, 74, 87, 90, 114, 146, 187 कुल किता 9 कुल रकबा 09 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम गुनेसरा वादीगण/रेस्पो0 के खातेदारी व कब्जे काश्त की फैली सुखराम के समय की पैत्रक है। सुखराम के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 3 से वादी/रेस्पो0 संख्या 01 व 02 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है। इस प्रकार से वादीगण/रेस्पो0 उक्त आराजीयात के खातेदार है और काबिज है। वादीगण/रेस्पो0 उक्त आराजी की घोषणा इन्द्राज दुरस्ती कराने को अधिकारी है। इस संबंध में पूर्व में दावा बटवारा व घोषणा खातेदारी का किया गया था जो दिनांक 20.11.2015 को विड्रोल कर लिया है। विनाय मुखास्मत दावा वादीगण द्वारा दिनांक 23.09.2010 को न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली में वाद पत्र धारा 53, 88, 188 आर. टी. एक्ट के तहत मु0नं0 70/2010 उनवानी हरी बनाम केसर वगै0 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 22.09.2010 के वाद कारण पर किया था जिसे वादीगण ने दिनांक 06.11.2015 को विड्रो कर आवेदन किया था और दिनांक 20.11.2015 को दावा वादी विड्रो पर नवीन वाद पत्र प्रस्तुत करने की वादीगण को अनुमति दी गयी है। वादी/रेस्पो0 इन्द्राज दुरस्ती कराने का अधिकारी है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का दावा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय विधि वि[illegible] निर्णय व डिक्री दिनांक 27.04.2016 अधिनस्थ न्यायालय पूर्णत आरक्षित है। [illegible] अपील [illegible] निर्णय व डिक्री दिनांक 27.04.2016 एकपक्षीय है। अपीलांट की प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् तामील नहीं कराई गई है। एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 11.01.2016 व 19.0[illegible]2016 विधि विरूद्ध है और उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी नं0 02 प्रभू दिनांक 23.04.2016 को निर्णय व डिक्री से पूर्व फौत हो चुका है, जिसके वारिसान अपीलांट नं0 02 ल0 08 है। निर्णय व डिक्री दिनांक 27.04.2016 पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सुनवाई का नोटिस व अवसर नहीं दिया गया है, जेर अपील निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अवहेलना कर एकपक्षीय पारित किये गये है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किय जाने योग्य है। विवादित आराजीयात दर्ज वाद पत्र अपीलांट व रेस्पो0 नं0 01 ल0 05 व रेस्पो0 नं0 06 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिस पर अपीलांट अपने हिस्से पर काबिज काश्त बतौर खातेदार है और विवादित भूमि में अपीलांट का 1/2 हिस्सा है बटवारा व घोषणा का वाद है जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 के हक हकूक तय होने है। इसलिए न्यायहित में अपीलांट को प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर व जवाब देही एवं साक्ष्य को अवसर दिया जाना न्यायोजित व आवश्यक है जिससे अपीलांट के हक हकूक की रक्षा हो सके इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज फरमायी जावे तथा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने बहस अपील में तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी आराजीयात खसरा नम्बर 50, 55, 58, 74, 87, 90, 114, 146, 187 कुल किता 9 कुल रकबा 09 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम गुनेसरा तहसील करौली में स्थित है जो कि रेस्पो0 सख्या 3, 4, 5 के बुजुर्ग पितामह व ससुर फैली पुत्र देवचंद व केसर के पिता सुखराम पुत्र फैली जाति मीना के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है। सुखराम की पुत्री केसर से रेस्पो0 संख्या 01 व 02 ने सुखराम की आराजी को दिनांक 28.05.2007 को रजिस्ट्र्ड बयनामा से विलऐवज एक लाख दस हजार रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, जिस पर रेस्पो0 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। विवादित आराजी की खातेदारी शिकमी काश्तकार के रूप में सम्वत 2019 से 2022 में रेस्पो0 3 व 4 के पितामह व रेस्पो0 संख्या 5 के ससुर व केसर के पिता के हक में रहे है। आराजीयात खसरा नम्बर 66, 73, 79, 145, 142, 278, 307 कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीघा ग्राम गुनेसरा रामसहाय पुत्र श्योनारायण के हक में खातेदारी इन्द्राज बतौर शिकमी रहे है। राजस्व कर्मियों ने फैली व रामलाल, सुखराम व रामसहाय के मरने के बाद विवादित आराजीयात का एक ही खाता संयुक्त रूप से कायम कर दिया है जबकि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 50, 55, 58, 74, 87, 90, 114, 146, 187 कुल किता 9 कुल रकबा 09 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम गुनेसरा रेस्पो0 के खातेदारी व कब्जे काश्त की फैली सुखराम [illegible] की पैत्रक है। सुखराम के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात को [illegible] 02 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है। इस प्रकार से रेस्पो0 [illegible] के खातेदार है और काबिज है। रेस्पो0 उक्त आराजी की घोषणा इन्द्राज दुरस्ती कराने के अधिकारी है। इस प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का दावा स्वीकार किया है। निर्णय में कोई गलती नहीं हुयी है। अदालत मातहत का निर्णय पूर्ण विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। प्रतिवादीगण की तामील भी विधि अनुरूप कार्यवाही गयी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया।

6. राजस्व रिकोर्ड नकल जमाबंदी संवत् 2068–71 वाके ग्राम गुनेसरा के खतौनी संख्या 286 के खसरा नम्बर 50, 55, 58, 66, 73, 74, 79, 87, 90, 114, 145, 146, 187, 192, 278, 307 कुल किता 16 कुल रकबा 17 बीघा 18 विस्वा रामप्यारी पत्नी हरी हिस्सा 1/8, रामपति पत्नी गोपाल हिस्सा 1/8, हरी, गोपाल पि0 रामलाल हिस्सा 1/6, विक्रम पुत्र रामसहाय व कंपूरी बेवा रामसहाय मीना सा. देह 1/4 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करौली, प्रभू पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/4 राहिन बैंक ऑफ बडौदा मूर्तहिन हल्की बेवा रामलाल हिस्सा 1/12 जाति मीना सा. देह ना. नं. 701, 725, 801, 802 के नाम अंकित है। रामप्यारी पत्नी हरि हिस्सा 1/8 व रामपति पत्नी गोपाल हिस्सा 1/8 कुल हिस्सा 1/4 (रकबा 4 बीघा 9.5 विस्वा) के नाम राजस्व रिकोर्ड में बयनामा दिनांक 28.05.2007 के आधार पर दर्ज हुआ है। यह बयनामा रामपति, रामप्यारी को केसर देवी पुत्री सुखराम के द्वारा करवाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में रामप्यारी, रामपति, हरि, गोपाल व हल्की वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया गया है एवं खसरा नम्बर 50, 55, 58, 74, 87, 90, 114, 146, 187 कुल किता 9 रकबा 9 बीघा 18 विस्वा का खातेदार वादीगण को घोषित किया गया है। नकल जमाबंदी संवत 2019–22 वाके ग्राम गुनेसरा के अनुसार सुखराम पुत्र फैली खसरा नम्बर 55, 74, 87, 146 किता 4 रकबा 5 बीघा 5 विस्वा शिकमी दर्ज है। वाद पत्र के मद संख्या 2 में सजरा खानदान दिया गया है। जिसमें सुखराम की वारिस केसर प्रतिवादी सं0 3 को बताया गया है। इसका तात्पर्य है कि आराजी सुखराम के नाम दर्ज रकबा 5 बीघा 5 विस्वा केसर के हिस्से में प्रथम दृष्टया आती है। इसके अतिरिक्त फैली पुत्र देवचन्द के शिकमी खाते की आराजी भी है। इसका मतलब केसर द्वारा नवीन खाते की 1/4 हिस्सा आराजी का बेचान करने के बाद भी केसर के हिस्से में कुछ आराजी और शेष रहती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी घोषणा में केसर का नाम अंकित नहीं है। इसका नाम नहीं होने बाबत कोई विवेचन, विश्लेषण भी नहीं किया गया है। इससे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2016 में विधिक त्रुटि प्रतीत होती है। वाद में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की तामील जरिये चस्पानगी की गयी है व इसके पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। इसके बाद में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपना पक्ष रखे जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। न्यायहित में अवसर दिया जाना उचित है। इसिलिए अपील प्रतिप्रेषित करने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मु0नं0 86/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.04.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण विचारणीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के संबंध में विधिक प्रावधानो के परिपेक्ष्य में पक्षकारो के हिस्से का विवेचन, विश्लेषण कर, उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विस्तृत आदेश पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वो अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, करौली के यहॉ दिनांक 10.03.2021 को उपस्थित होवे।

8. निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.1.21

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner